



प्रेस नोट

थाना रमाला

दिनांक 05.11.2022

थाना रमाला पुलिस ने थाने के मु०अ०सं० 321/22 धारा 302 भादवि से सम्बन्धित मुख्य अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से आलाकत्ल एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 खोखा व 03 जिन्दा कारतूस व घटना में प्रयुक्त एक मो०सा० अपाचे बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 03.11.2022 को वादी श्री इन्द्रपाल पुत्र हरध्यान सिंह निवासी ग्राम सूप थाना रमाला जनपद बागपत ने सूचना दी कि दिनांक 02/03.11.22 की रात्री में अभियुक्तगण 1-अंकुर पुत्र अमरपाल निवासी ग्राम सूप थाना रमाला, 2-नरेन्द्र पुत्र शीशपाल निवासी कस्बा व थाना दोघट एवं एक अज्ञात व्यक्ति ने उसके लडके जितेन्द्र की गोली मारकर हत्या कर दी । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना रमाला पर मु०अ०सं० 321/22 धारा 302 भादवि पंजीकृत किया गया ।



मृतक जितेन्द्र पुत्र इन्द्रपाल थाना रमाला का हिस्ट्रीशीटर था ।(H.S No. 630ए)

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा थाने के मु०अ०सं० 321/22 धारा 302 भादवि से सम्बन्धित मुख्य अभियुक्त अंकुर को गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से आलाकत्ल एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 खोखा व 03

जिन्दा कारतूस तथा घटना में प्रयुक्त एक मो०सा० अपाचे नं० UP-15CN-3261 बरामद हुई है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना रमाला पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्त अंकुर ने पूछताछ पर बताया कि मैं और मृतक जितेन्द्र आपस में दोनों दोस्त थे। हम दोनों ने प्रवीन के घर में बैठकर शराब पी थी, इसी दौरान जितेन्द्र मेरी माँ और मेरी बहनों के चरित्र के बारे में उल्टी-सीधी बातें करने लगा, मेरे मना करने पर वह नहीं माना, तो मैंने तमंचे से जान से मारने की नियत से उसके सिर पर फायर किया और वह मौके पर ही मर गया और मैं वहाँ से फरार हो गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1- अंकुर पुत्र अमरपाल निवासी ग्राम सूप थाना रमाला जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

1- आलाकत्ल एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 खोखा व 03 जिन्दा कारतूस।

3- घटना में प्रयुक्त एक मो०सा० अपाचे नं० UP-15CN-3261

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1-प्र०नि० श्री मदनपाल सिंह थाना रमाला।

2- व०उ०नि० श्री सोनवीर सिंह सोलंकी थाना रमाला।

3- उ०नि० श्री आरिफ अली थाना रमाला।

4- उ०नि० श्री अमरदीप थाना रमाला।

5- का० 879 अमरेश कुमार थाना रमाला।



प्रेस नोट
थाना छपरौली

दिनांक 05.11.2022

थाना छपरौली पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्त का नाम व पता:-

1-अमीर पुत्र मंगता निवासी ग्राम टाण्डा थाना छपरौली जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1-उ0नि0 श्री धीरज कुमार थाना छपरौली ।

2-का0 880 गीतम सिंह थाना छपरौली ।



प्रेस नोट
थाना बालैनी

दिनांक 04.11-2021

ऑपरेशन स्माईल अभियान के अन्तर्गत थाना बालैनी पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 152/22 धारा 363 भादवि से संबंधित अभियुक्त को गिरफ्तार कर अपहृता को सकुशल बरामद किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में चलाये जा रहे ऑपरेशन स्माईल अभियान के अन्तर्गत थाना बालैनी पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 152/22 धारा 363 भादवि से संबंधित अभियुक्त को गिरफ्तार कर अपहृता को सकुशल बरामद किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1-रमनलाल पुत्र चन्द्रभान निवासी ग्राम पेठा थाना गोवर्धन जनपद मथुरा ।

गिरफ्तार/बरामद करने वाली पुलिस टीम-

- 1- उ0नि0- श्री शीलेन्द्र सिंह ।
- 2- का0 354 सतवीर सिंह
- 3- म0का0- 799 उमा ।



प्रेस नोट
थाना बडौत

दिनांक 05-11-2022

थाना बडौत पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा एक वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्त का नाम पता-

1-नितिश कुमार पुत्र बलराम निवासी अवध बिहार जानसद रोड थाना नई मण्डी मुजफ्फरनगर ।

हाल पता ग्राम बावली थाना बडौत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- उ0नि0 श्री कैलाशनाथ थाना बडौत ।

2- का0 1058 शरद यादव ।

